

**HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
SHIMLA**

NOTIFICATION

Shimla, the

August 21, 2006

No. HPERC/419.- In exercise of the powers conferred by sections 46 and 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, after previous publication, hereby makes the following regulations to further amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) Regulations, 2005, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary), dated 4st April, 2005:-

REGULATIONS

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission(Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) (Second Amendment) Regulations, 2006.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of regulation 15.- In regulation 15 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission(Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) Regulations,2005 for the words “one year”, the words “two years” shall be substituted.

By order of the Commission

Sd/-
Secretary

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला

अधिसूचना

शिमला-171002,

21 अगस्त, 2006

संख्या: एच0पी0ई0आर0सी0 / 419.— हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 46 तथा धारा 181 के साथ पठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897(1897 का 10) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशित "अन्य" के उपरान्त, 4 अप्रैल, 2005 के अंक के असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशित "अन्य" त हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग(विद्युत प्रदाय पर व्यय की वसूली) विनियम, 2005 में और संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:—

विनियम

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय पर व्यय की वसूली) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2006 है।
(2). ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।
- विनियम 15 का संशोधन.**— हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय पर व्यय की वसूली)विनियम, 2005 के विनियम 15 में आए शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर भाब्द "दो वर्ष" प्रतिस्थापित किए जाएँगे ।

आयोग के आदेश द्वारा

हस्त
सचिव

